



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227580
CG-DL-E-14062021-227580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943

No. 167]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 6/2015-2020

विषय : विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट 2न में संशोधन।

फा. सं. एम-5898/एम-03/पीसी-II (ए)/ई-1414.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट 2न में निम्नानुसार निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं:

क्र.सं.	निर्यात संवर्धन परिणदों/पण्य बोर्डों के नाम	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का ब्यौरा।	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का संशोधित ब्यौरा
4	भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद	काजू गिरी तरल छिल्का युक्त काजू कार्डानोल	—
35	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	1. फल, सब्जी एवं उनके उत्पाद 2. मांस एवं मांस उत्पाद 3. कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद 4. डेयरी उत्पाद	1. फल, सब्जी एवं उनके उत्पाद 2. मांस एवं मांस उत्पाद 3. कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद 4. डेयरी उत्पाद

		5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट एवं बेकरी उत्पाद 6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद 7. कोकोओ और इसके उत्पाद, सभी किस्म के चॉकलेट 8. अल्कोहल और अल्कोहल रहित उत्पाद 9. अनाज और अनाज उत्पाद 10. मूंगफली, पीनट और अखरोट 11. अचार, चटनी और पापड़ 12. ग्वार गम 13. पुष्प कृषि एवं पुष्प कृषि उत्पाद 14. हर्बल और औषधीय पौधे	5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट एवं बेकरी उत्पाद 6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद 7. कोकोओ और इसके उत्पाद, सभी किस्म के चॉकलेट 8. अल्कोहल और अल्कोहल रहित उत्पाद 9. अनाज और अनाज उत्पाद 10. मूंगफली, पीनट और अखरोट 11. अचार, चटनी और पापड़ 12. ग्वार गम 13. पुष्प कृषि एवं पुष्प कृषि उत्पाद 14. हर्बल और औषधीय पौधे 15. काजू गिरी 16. तरल छिलकायुक्त काजू 17. कार्डानोल
--	--	--	--

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों के लिए आरसीएमसी जारी करने/नवीनीकृत करने की शक्तियां निलम्बित की जाती है और एपीडा को तत्काल प्रभाव से काजू गिरी, तरल छिलकायुक्त काजू और कार्डानोल के लिए आरसीएमसी जारी करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण के रूप में नामित किया जाता है। तथापि, भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पहले से जारी आरसीएमसी अपनी शेष वैधता अवधि के लिए मान्य रहेंगे।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 6 /2015-2020

Subject : Amendment in Appendix-2T of Foreign Trade Policy, 2015-2020.

F. No. M-5898/AM03/PC-2(A)/e-1414.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby makes the following changes in Appendix – 2T of Foreign Trade Policy, 2015-2020, as under:

S. No.	Name of Export Promotion Councils/ Commodity Boards	Details of products falling with their jurisdiction	Revised details of products falling with their jurisdiction
4	Cashew Export Promotion Council of India	Cashew Kernels Cashewnut Shell Liquid Kardanol	--

35	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	1.Fruits, Vegetable and their products 2. Meat and meat products 3.Poultry and poultry products 4.Dairy products 5.Confectionary, biscuits and bakery products 6.Honey, jaggery and sugar products 7.Cocoa and its products, chocolates of all kinds 8.Alcoholic and non-alcoholic beverages 9.Cereals and cereals products 10. Groundnuts, peanuts and walnut 11. Pickles, chutneys and papads 12.Guar Gum 13.Floriculture and floriculture products 14. Herbal and medicinal plants	1.Fruits, Vegetable and their products 2. Meat and meat products 3.Poultry and poultry products 4.Dairy products 5.Confectionary, biscuits and bakery products 6.Honey, jaggery and sugar products 7.Cocoa and its products, chocolates of all kinds 8.Alcoholic and non-alcoholic beverages 9.Cereals and cereals products 10. Groundnuts, peanuts and walnut 11. Pickles, chutneys and papads 12.Guar Gum 13.Floriculture and floriculture products 14. Herbal and medicinal plants 15. Cashew Kernels 16. Cashewnut Shell Liquid 17. Kardanol
----	---	--	---

2. **Effect of the Public Notice:** Cashew Export Promotion Council of India's powers to issue/renew RCMCs for products falling under their jurisdiction are suspended and APEDA is designated as the agency authorized to issue RCMCs for Cashew Kernels, Cashewnut Shell Liquid and Kardanol, with immediate effect. However, RCMCs already issued by Cashew Export Promotion Council of India shall remain valid for the rest of their validity period

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.